प्रेस नोट **11/08/2024**

<u>सोशल मिडिया पर फेसबुक आइ0डी0 हैक कर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला एक शातिर गिरफ्तार–</u>

आज दिनांक 11.08.2024 को थाना रानीपुर पुलिस व साइबर टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भुसुआ मोड़ के पास से मु0अ0स0 150/2024 धारा 295ए भादवि व 66 आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल चौहान पुत्र रामलाल पता ग्राम अछार सगरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी राहुल कुमार पुत्र स्व0 राजनाथ निवासी नियामतपुर बगली पिजड़ा थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा अपने फेसबुक आइडी को हैक हो जाने तथा उसी आइडी से प्रभु श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त द्वारा उक्त फेसबुक आईडी को हैक कर भारतीय रेलवे के वाईफाई से कनेक्ट कर अमर्यादित पोस्ट किये गये थे।